

कृषि यंत्रीकरण

कृषि के आधुनिकीकरण में शस्य क्रियाओं का समय पर संपादित करने, कृषि आगतों का प्रभावपूर्ण प्रयोगों, मानव श्रम को कम करने तथा कम लागत पर अधिक उत्पादन लेने में कृषि यन्त्रीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में महिलाये सामाजिक कार्यों के साथ-साथ कृषि कार्यों में भी अहम भूमिका निभाती है। तकनीकी और सामाजिक विकास होने के बावजूद भी महिलाओं को कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि वे आधुनिकीकरण तकनीकियों से बहुत पीछे है। जिससे कि रोजमर्रा का जीवन बहुत सघर्ष पूर्ण है। राज्य में सामान्य तौर पर कृषक मानव व पशु चलित यंत्रों के उपयोग करते जा रहे है जो कि बढ़ती हुयी फसल गहनता व खाद्यान आवश्यकता को पूर्ण करने में कदापि सक्षम हो रहे है। अतः उन्नत व सुविधाजनक कृषि यंत्रों को कृषकों को उपलब्ध कराकर खाद्यान उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कृषि में श्रम एवं लागत मे कमी लाने के लिये कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में निम्नांकित योजनाओं के अन्तर्गत यंत्रों पर क्रय सहायता प्रदान की गयी है।

सी-डेप आधारित जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में निर्धारित किये गये 432 लक्ष्य में से 296 कृषि यंत्र वितरित किये गये, जिनमें से 26 अनुसूचित जाति तथा 45 अनुरक्षित जनजाति वर्ग में बाटें गये।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल एवं गेहूँ

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की दिशा निर्देश के आधार पर विभिन्न कृषि यंत्रों जिनका विवरण निम्नवत है। अनुदान की सुविधा पर उपलब्ध करायी जा रही है।

क्र०सं०	कृषि यंत्र/ मशीनरी का प्रकार	अनुदान के मानक	लक्ष्य	पूर्ति
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल				
1	नैपसेक स्प्रेयर	मूल्य का 50 % अधिकतम रू० 3,000.00	1700	1004
2	जीरो टिल सीड ड्रिल	मूल्य का 50 % अधिकतम रू० 15,000.00	540	168
3	मल्टी क्रॉप प्लान्टर्स	मूल्य का 50 % अधिकतम रू० 15,000.00	15	-
4	सीड ड्रिल	मूल्य का 50 % अधिकतम रू० 15,000.00	50	-
5	पावर वीडर	मूल्य का 50 % अधिकतम रू० 15,000.00	180	52
6	रिज फरो पलान्टर्स	मूल्य का 50 % अधिकतम रू० 15,000.00	25	-
7	रोटावेटर्स	मूल्य का 50 % अधिकतम रू० 30,000.00	755	1116
8	लेजर लैण्ड लेवलर	मूल्य का 50 % अधिकतम रू० 15,000.00	53	37
9	जल पंप	मूल्य का 50 % अधिकतम रू० 10,000.00	95	28
10	एच०डी०पी०ई०पाइप वितरण	मूल्य का 50 % अधिकतम रू० 10,000.00 या 200 मी०	19000	10600

क्र०सं०	कृषि यंत्र/ मशीनरी का प्रकार	अनुदान के मानक	लक्ष्य	पूर्ति
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ				
1	नैपसेक स्प्रेयर	मूल्य का 50 % अधिकतम रू० 3,000.00	1350	889
2	जीरो टिल सीड ड्रिल	मूल्य का 50 % अधिकतम रू० 15,000.00	140	229
3	रोटावेटर्स	मूल्य का 50 % अधिकतम रू० 30,000.00	365	837
4	लेजर लैण्ड लेवलर	मूल्य का 50 % अधिकतम रू० 15,0000.00	14	17
5	जल पंप	मूल्य का 50 % अधिकतम रू० 10,000.00	435	99
6	स्प्रिंकलर सेट	रू० 7500.00 प्रति हैक्टेयर	35	0

(2) पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नालॉजी योजना

इस योजना के अंतर्गत फसल कटाई तथा उसके उपरांत उसके प्रसंस्करण में काम आने वाले यंत्रों के क्रय पर भारत सरकार की ओर से अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके अंतर्गत निम्नवत यंत्र कृषकों को उपलब्ध कराये जायेंगे।

क्र.सं.	यंत्र/मशीनरी का नाम	अनुदान के मानक	लक्ष्य (2013-14)
1	स्ट्रा टीपर	मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम रू० 84000 प्रति इकाई	40
2	मल्टी क्राप थ्रेसर	मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम रू० 84000 प्रति इकाई	75
3	टी०डी० मेज शैलर	मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम रू० 6000 प्रति इकाई	100
4	पावर थ्रेसर	मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम रू० 32000.00 प्रति इकाई	75

(2) प्रमोशन ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन

जो जलपद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं तथा जो यंत्र उक्त योजना में सम्मिलित नहीं हैं, उन जनपदों तथा यंत्रों हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से कृषकों को अनुदान पर यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत रू० 319.63 लाख की योजना स्वीकृत की गई है,

क्र०सं०	यंत्र/मशीनरी का नाम	अनुदान के मानक	लक्ष्य (2013-14)
शक्ति चालित			
1	पावर टिलर	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम रू० 45,000.00	40
मानव चालित			
2	पैडी थ्रेसर	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू० 2,000.00	85

क्र०सं०	यंत्र/मशीनरी का नाम	अनुदान के मानक	लक्ष्य (2013-14)
3	चैफ कटर	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू० 2,000.00	280
4	विनोडिंग फैन	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू० 2,000.00	150
5	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु छोटे यंत्र	मूल्य का 50 प्रतिशत	45000
वैल चालित			
6	हल	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू० 2,500.00	855
7	सीड ड्रिल	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू० 2,500.00	200
ट्रैक्टर चालित			
8	एम०वी० डिस्क प्लो/हैरो/ कन्टीवेटर सीड कम फर्टीड्रिल	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू० 10,000.00	1240
शक्ति चालित/सेल्फ प्रोपेल्ड			
9	पावर वीडर	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू० 15000.00	137
10	लाइट वेट ब्रश कटर	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू० 10,000.00	100
11	थ्रेशर	मूल्य का 30 प्रतिशत या अधिकतम रू० 12,000.00	185
पादप रक्षा यंत्र			
12	स्प्रेयर	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू० 800.00	400
सिंचाई			
13	जल पम्प	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू० 10,000.00	100
14	एच०डी०पी०ई० पाइप	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू० 10,000.00 या 200 मी०	60,000

वर्ष 2014-15 के प्रस्तावित कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2014-15 से वर्तमान में चलाये जा रहे कृषि यंत्रीकरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मिशन के रूप में चलाये जाने का निर्णय लिया गया है. इसके अंतर्गत निम्नांकित कार्यक्रमों को समाहित कर लिया गया है-

- (1) प्रमोशन एण्ड स्ट्रेंथनिंग आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन थ्रू ट्रेनिंग टेस्टिंग एण्ड डिमान्सट्रेशन (100 प्रतिशत केन्द्रपोषित)
- (2) पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालाजी एण्ड मैनेजमेंट (100 प्रतिशत केन्द्रपोषित)
- (3) फाइनैसियल असिस्टेंस आफ प्रोक्योरमेंट सब्सिडी फार सेलेक्टेड एग्रीकल्चर मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट्स (90 प्रतिशत केन्द्रपोषित)
- (4) कार्यक्रम अनुमोदित होने पर भारत सरकार गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यक्रम चलाया जायेगा।